



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: 3429

/12-1

दिनांक

12 / 04 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.20 हे० वन भूमि नगर पंचायत गजा को प्रत्यावर्तन हेतु (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/Others/29354/2017)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक- 2063/FP/UK/Others/29354/2017 दिनांक 25-02-2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित से इंगित कमियों का निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-627/न०प०/2021-22, गजा, दिनांक 30-03-2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव कितने वर्षों हेतु लीज पर लिया गया है, इस हेतु लीज अवधि का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है, जबकि ऑनलाईन पैरा-A-(x) में वन भूमि 30 वर्षों हेतु लिया जाना अपलोड किया गया है।	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है, कि नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु वन भूमि, वन संरक्षण, अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि हस्तान्तरण हेतु तैयार कर ऑन लाईन के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है भाग-01 पैरा-A-(x) में त्रुटिवश उक्त प्रस्ताव 30 वर्षों हेतु के लीज पर लिया जाना अंकित हो गया था, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप-13 वैकल्पिक समरेखण को रिक्त दर्शाया गया है, परिपेक्ष्य में वैकल्पिक समरेखण का तुलनात्मक विवरण अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है, नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु प्रस्तावित वन भूमि ही एकमात्र विकल्प है, उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं है, जिस कारण प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप-13 को रिक्त दर्शाया गया है।
3	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्रीमती मन्जू चौहान, अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त हेतु ही श्री गम्भीर सिंह तहसीलदार को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री गम्भीर सिंह तहसीलदार को अधिकृत/नामित किया गया है, जिससे सम्बन्धित अभिलेख/दस्तावेज प्रस्ताव के ऑनलाईन/प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में चस्पा कर दी गयी है।
4	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रारूप-30 को (Other than linear) श्रेणी का प्रस्ताव में संलग्न किया जाये। इसके अतिरिक्त सही प्रमाण-पत्र भी ऑनलाईन यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी द्वारा जारी वन अधिकार अधिनियम, 2006 प्रारूप-30 (Other than linear) श्रेणी का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त प्रारूप-30 को ऑनलाईन भाग-01 एवं भाग-02 में भी संशोधित कर दिया गया है।
5	प्रस्तावित कार्य के ले-आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजना की के०एम०एल० फाईल में ले-आउट प्लान को दर्शाते हुये पुनः संशोधित के०एम०एल० यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा परियोजना की संशोधित के०एम०एल० फाईल यथास्थान पर अपलोड कर दी गयी है।

6 प्रस्ताव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (कूड़ा निस्तारण) हेतु प्रस्तावित है जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करे।	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित कार्य करने वाली फर्म ग्रो-ग्रीन के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति निकाय के अधीन/स्वामित्व वाली भूमियों जहां पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य कर उक्त ठोस अपशिष्ट से निकला हुआ डिस्पोजेबल जिसका सैनेटरी लैंडफिल में निस्तारण किया जाता है, तथा 05.00 मिट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा उत्सर्जित करने वाली उन निकायों को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। चूंकि नगर पंचायत गजा एक नवसृजित नगर पंचायत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य किये जाने हेतु निकाय उपरोक्त विषय में वर्णित भूमि को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही कर रही है। उक्त भूमि में सैनेटरी लैंडफिल का निर्माण नहीं करवाया जायेगा तथा निकाय की जनसंख्या-2011 के अनुसार 2098 है जिसके अनुसार निकाय कूड़ा उत्सर्जन की मात्रा 05.00 मिट्रिक टन से कम है। (पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 08 अप्रैल 2016 की गजट नोटिफिकेशन की छाया प्रति संलग्न है।
---	---

संलग्न- 04 प्रतियों में :-

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

६५

संख्या:- 3429 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गजा (टिहरी गढ़वाल को उनके पत्रांक-627/स0प0/2021-22, गजा दिनांक 30-03-2022 के क्रम में।

0/2

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

६५

कार्यालय:- नगर पंचायत, गजा (टिहरी गढ़वाल)

पत्रांक:- **627** / न0प0 / 2021-22, गजा

दिनांक:- **30** मार्च, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

पत्र प्राप्ति की तिथि **11/04/2022**
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर.....
प्राप्तकर्ता का पदनाम **उ. उ. उ.**
कार्यालय का नाम-न व प्र मुनि-की-रेती

विषय:- नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.2 हे० वन भूमि को नगर पंचायत, गजा को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या:-5825/12-1 दिनांक 04 मार्च, 2022 के क्रम में नगर पंचायत, गजा के कूड़ा निस्तारण हेतु 0.2 हे. वन भूमि के हस्तान्तरण किये जाने हेतु इस निकाय द्वारा प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया गया तथा उक्त प्रस्ताव को कार्यालय अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट, कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा 06 इंगित कमियां पाई गई है। प्रेषित पत्र में **वर्णित 06 इंगित कमियों का निराकरण किया गया है, जो इस प्रकार से है:-**

क्र.सं०	बिंदु	प्रतिउत्तर
1	प्रस्ताव कितने वर्षों हेतु लीज पर लिया गया है इस हेतु लीज अवधि का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है, जबकि ऑनलाइन पैरा-A-1(X) में वन भूमि 30 वर्षों हेतु लिया जाना अपलोड किया गया है।	बिन्दु संख्या 1 में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव वन भूमि हस्तान्तरण हेतु गठित कर प्रस्तुत किया गया है। अतः भाग 1 के पैरा A-1(X) में वन भूमि 30 वर्षों हेतु लिये जाने वाले वर्ष को संशोधित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप-13 (वैकल्पिक समरेखण) को रिक्त दर्शाया गया है। परिपेक्ष्य में वैकल्पिक समरेखण का तुलनात्मक विवरण अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड नरेन्द्रनगर में नवसृजित नगर पंचायत, गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु प्रस्तावित वन भूमि ही एक मात्र विकल्प है। उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं है। जिस कारण प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 13 को रिक्त रखा गया है।
3	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्रीमती मन्जू चौहान, अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त हेतु ही श्री गम्भीर सिंह, तहसीलदार को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	वर्णित बिन्दु संख्या 03 के सुधारीकरण किये जाने के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री गम्भीर सिंह, तहसीलदार, टिहरी गढ़वाल, का अधिकृत किया जाता है।

कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

11/04/2022

आर.न. **6910/12-1**

दिनांक **12/04/2022**

ह0 आर.न. **52**

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

क्र.सं०	बिंदु	प्रतिउत्तर
4	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रारूप-30 को Other than linear श्रेणी का प्रस्ताव में संलग्न किया जाये। इसके अतिरिक्त सही प्रमाण-पत्र भी ऑनलाइन यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रारूप (30) वन अधिकार अधिनियम 2006 को other than leaner श्रेणी का संशोधित करवाते हेतु सही प्रमाण पत्र भाग 1 में यथा स्थान अपलोड कर दिया गया है। जिसकी मूल प्रति सहित 5 प्रतिया अग्रिम करवायी हेतु प्रेषित की जा रही है।
5	प्रस्तावित निर्माण कार्य के ले-आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजना की kml file में ले-आउट प्लान को दर्शाते हुये पुनः संशोधित kml file यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के ले-आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है तथा इसके अतिरिक्त परियोजना की संशोधित kml file में ले-आउट प्लान को पुनः दर्शाकर अपलोड कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन(कूड़ा निस्तारण) हेतु प्रस्तावित है जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	नगर पंचायत गजा में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित कार्य करने वाली फर्म ग्रो ग्रीन द्वारा अवगत कराया कि उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति निकाय के अधीन/स्वामित्व वाली भूमियों जहां पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य कर उक्त ठोस अपशिष्ट से निकला हुआ डिस्पोजेबल जिसका सैनेटरी लैंडफिल में निस्तारण किया जाता है, तथा 05 मिट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा उत्सर्जित करने वाली उन निकायों को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है। चूंकि नगर पंचायत गजा एक नवसृजित नगर पंचायत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किये जाने हेतु निकाय उपरोक्त विषय में वर्णित भूमि को हस्तन्तरित किये जाने की कार्यवाही कर रही है उक्त भूमि पर सैनेटरी लैंडफिल का निर्माण नहीं करवाया जायेगा तथा निकाय की जनसंख्या 2011 के अनुसार 2098 है जिसके अनुसार निकाय में कूड़ा उत्सर्जन की मात्रा 0.5 मिट्रिक टन से कम है। (उपरोक्त से संबंधित पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 8 अप्रैल 2016 की गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है।)

भवदीय

अधिशायी अधिकारी
नगर पंचायत, गजा(टि०ग०)

प्रतिलिपि:-

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशायी अधिकारी
नगर पंचायत, गजा(टि०ग०)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2016/चैत्र 19, 1938

No. 861]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/CHAITRA 19, 1938



पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

का.आ. 1357(अ).—ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि.451 (अ) तारीख 3 जून, 2015 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उनसे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 को अधिकांश करते हुए उक्त अधिसूचना के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 3 जून, 2015 को उपलब्ध कराई गई थीं;

निर्धारित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों तथा टिप्पणियों पर केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरणों से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(द) क्रमवर्ती प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधाओं या द्वितीयक भंडारण सुविधा को गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को परिवहन करना;

(ध) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन समय-समय पर यथासंशोधित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार करना;

(न) समुदाय सुविधा के आस-पास दुर्गंध के नियंत्रण और स्वास्थ्य रक्षक स्थितियों के अनुरक्षण के अध्यक्षीन समुदाय स्तर पर घरेलू कंपोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन, अपशिष्ट के विकेंद्रित प्रसंस्करण में समुदायों को अंतर्बलित करना;

(प) दो वर्षों के भीतर रासायनिक खद के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी उद्यानों, बगीचों में कंपोस्ट का प्रयोग करना और जहां कहीं संभव हो इसके अधिकारिता के अधीन अन्य स्थानों पर भी ऐसा करना अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र द्वारा की जाने वाली पुनर्चक्रण पहलों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं;

(फ) उपयुक्त प्रौद्योगिकी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां भी हैं, को अंगीकृत करते हुए और समय-समय पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अवयवों के उचित उपयोग के लिए स्वयं या निजी क्षेत्र के सहभागी या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित अवसंरचना के संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को सुकर बनाना: परिवहन लागत और पर्यावरणीय आघात को न्यूनतम करने के लिए विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण को अधिमन्यता देना जैसे:-

(क) जैव-मिथैनिकरण, सूक्ष्म जैविक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, अनारोबिक डाईजेशन या जैव निम्नीकरणीय-अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य समुचित प्रसंस्करण;

(ख) अपशिष्ट के दहनशील भाग के लिए अवशिष्ट जनित ईंधन सहित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं या अपशिष्ट आधारित विद्युत प्लांटों या सीमेंट भट्टियों को फीड स्टॉक के रूप में आपूर्ति;

(ब) इन नियमों के अधीन विहित रीति से अवशेष अपशिष्टों के निपटान के लिए अनुसूची-1 के अनुसार स्वास्थ्यकर भरण स्थलों और आनुषंगिक अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से करना;

(भ) वार्षिक बजट में पूंजी निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का पर्याप्त उपबंध करना और यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकाय के वैवेकिक कृत्यों के लिए निधियां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा इन नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय के अन्य बाध्यकारी कृत्यों के लिए आवश्यक निधियों की अपेक्षा पूर्ण करने के पश्चात् की आबंटित की जाएं;

(म) प्ररूप-1 में अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन या निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए आवेदन करना जिसके अंतर्गत यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन से अधिक अपशिष्ट हो;

(य) प्राधिकार की विधिमान्यता समाप्त होने से कम से कम साठ दिन पूर्व प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करना;

(यक) उत्तरवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल या उसके पूर्व आयुक्त या निदेशक, नगरपालिका प्रशासन को या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप-4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करना;

(यख) वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएगी;

(यग) कार्मिकों जिसके अंतर्गत संविदा कार्मिकों और पर्यवेक्षकों भी हैं, को पृथक किए गए अपशिष्ट के द्वार-द्वार से संग्रहण के लिए और प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के दौरान अमिश्रित अपशिष्ट के संबंध में प्रशिक्षण;

(यघ) यह सुनिश्चित करना कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात् वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बरसाती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन में लगे सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराए और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए;

(यड.) किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट काम्प्लैक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व सुनिश्चित करने की भवन योजना में पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए;